

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./5534/2007/झालावाड़

कृष्णवल्लभ पुत्र प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

-अपीलार्थी

-बनाम-

ओमप्रकाश पुत्र प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़।

-प्रत्यर्थी

खण्ड-पीठ

श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य
श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य

उपस्थित:

श्री मृणाल शर्मा अधिवक्ता, अपीलार्थी।

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

-निर्णय-

दिनांक: 10 अगस्त, 2026

(I) अपील का आधार :-

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण सं० 197/2005 उनवान कृष्णवल्लभ बनाम ओमप्रकाश में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09-03-2007 के विरुद्ध पेश की गई है।

(II) अपील के तथ्य :-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/वादी ने अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम खानपुर तहसील खानपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 2408 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2426 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी/वादी की आराजी स्थित है। उक्त आराजी पर प्रत्यर्थी/वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी/अपीलार्थी, वादी/प्रत्यर्थी का सगा भाई है। प्रतिवादी/अपीलार्थी वादी/प्रत्यर्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। पक्षकारान के मध्य आपसी समझौते से खाता विभाजन कर पृथ्क-पृथ्क खाते

आराजी दर्ज की गई है। अपीलार्थी/प्रतिवादी, प्रत्यर्थी/वादी की आराजी पर कब्जा करने में सफल हो गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रत्यर्थी/वादी की आराजी में दखलंदाजी नहीं करे तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर कब्जा नहीं करें। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर किया तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा पेश कर प्रत्यर्थी/वादी के भाई होने के कथन को स्वीकार कर शेष कथनों से इन्कार किया। उसने जवाबदावा में बताया कि खसरा नंबर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा आराजी पर वह पिछले 20 वर्ष से काबिज है। खसरा नंबर 2426 की 15 बिस्वा व खसरा नंबर 2410 की 23 बीघा 17 बिस्वा पर वादी का कब्जा है, जिस पर वादी ने ट्यूबवैल लगा रखा है और इसी ट्यूबवैल से खसरानंबर 2426 व खसरा नंबर 2410 की आराजी को सिंचित करता है। इस आराजी पर वादी ने एक मकान कच्चा पक्का बना रखा है जिसमें काश्तकारी का सामान रखा है। जवाबदावा में विशेष आपत्ति में यह उल्लेखित किया कि विवादित आराजी के बारे में फाईनल डिक्री दिनांक 30-6-94 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित की गई है, कानूनन जिसकी इजराय पेश होनी चाहिए किन्तु दो साल के बाद दिनांक 07-1-99 तक इसकी कार्यवाही की गई है, जो अवैध है। इजराय का नोटिस आदेश 21 नियम 22 सीपीसी के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक है जिसकी पालना नहीं की गई है। पक्षकारों की एक बहिन भी है, जिसको वाद में पक्षकार बनाये बिना फाईनल डिक्री पारित किये जाने से धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियमों की पालना विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित करते समय नहीं की गई है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-10-2005 द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया कि वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करें। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 17-10-2005 से व्यथित होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09-03-2007 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। उक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी/वादी ने द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

(III) पक्षकारों की बहस व तर्क :-

1- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील-मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद कथनों से इन्कार करते हुए यह बताया था कि वह वादग्रस्त आराजी पर पिछले 20 वर्षों से काबिज चला आ रहा है, जिस पर ट्यूबवैल लगाकर भूमि सिंचित किया जा रहा है तथा उस आराजी पर मकान भी बना रखा है। किन्तु विचारण न्यायालय ने उनके तथ्यों को समझे बिना वाद को निस्तारण करते

समय बिना तनकियात कायम किये वाद वादी स्वीकार कर लिया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने संक्षिप्त निर्णय के द्वारा बिना पत्रावली का परिशीलन किये अपील विधि के विपरीत जाकर खारिज कर दी है। उनका कथन है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लाये गये थे कि पूर्व में प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौते में भूमि के विनिमय के आधार पर अपने खातों की जमीनों को देने की सहमति दी गई है। अपीलार्थी/प्रतिवादी कृष्णवल्लभ के खाते की जमीन खसरा नंबर 2426 तथा 2410 कुल रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश को दी गई थी जो राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी कृष्णवल्लभ के नाम थी तथा प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश की भूमि खसरा नंबर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलार्थी/प्रतिवादी कृष्णवल्लभ को दी गई थी जिसकी पुष्टि पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं दस्तावेजों से हो जाती है। किन्तु उक्त समस्त तथ्यों पर गौर नहीं कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। अपीलार्थी कृष्णवल्लभ को एक्सचेंज में आपसी सहमति से प्राप्त वादग्रस्त आराजी को उपजाऊ बनाने के उपरांत प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश की नीयत में फर्क आ जाने से वादी ओमप्रकाश ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किये बिना गैर कानूनी रूप से निर्णय व डिक्री पारित किया है। बिना तनकियात कायम किये विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने न्याय के बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2000 (7) आर.बी.जे. पेज 313, 2014 (21) आर.बी.जे. पेज 311 तथा 2016 (23) आर.बी.जे. पेज 347 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

2- इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत्पूर्व में भी एक वाद गोपी, गोविन्दलाल, कृष्ण वल्लभ एवं ओमप्रकाश ने प्रभूलाल व राज्य सरकार के विरुद्ध पेश किया जिसमें विचारण न्यायालय ने सभी पक्षकारों के फैमिली सेटलमेंट वर्ष 1975 को मध्य नजर रखते हुए भूमि का विभाजन करते हुए प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश के पक्ष में खसरा नंबर 2408 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नंबर 2426 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा उसके खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध हाल अपीलार्थी/प्रतिवादी कृष्ण वल्लभ द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश किये जाने पर अपील खारिज कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई तथा अलग से धारा 48 व 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विनिमय की कार्यवाही किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कृष्ण वल्लभ द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपील सं० 180/2000 पेश किये जाने पर राजस्व मण्डल की

माननीय खण्डपीठ ने भी अपील को इस आधार पर खारिज किया है कि कृष्णवल्लभ को स्वयं की स्वीकारोक्ति के आधार पर विचारण न्यायालय ने भूमि दिये जाने का आदेश दिया गया है। अतः स्वयं की स्वीकारोक्ति के विरुद्ध कोई दलील पेश नहीं की जा सकती। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में पूर्व में मण्डल स्तर तक हाल प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश के पक्ष में निर्णय हो चुका है उसके बाद भी हाल अपीलार्थी/प्रतिवादी कृष्ण वल्लभ द्वारा वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए पुनः वादी द्वारा वाद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। विचारण न्यायालय ने पुनः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा एवं पूर्व में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित समवर्ती निर्णय है जिनमें इस द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी/वादी को आपसी समझौते से बंटवारे में प्राप्त हुई है इसलिए वह निरंतर वादग्रस्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है। अतः अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में (2001)9 एस.सी.सी. पेज 385, 2002 (1) आर.आर.टी. पेज 129 (एच.सी.), 1978 आर.आर.डी. पेज 217 (डी.बी.), 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 240 एवं 2015 आर.आर.डी. पेज 105 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

IV) अवर्धाय प्रश्न:-

द्वितीय अपील के निस्तारण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय Inder Singh vs. State of MP [2025 INSC382] आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है -

"We are of opinion that the second appeal deserves to heard, contested and decided on merits..."

स्पष्ट रूप से इस न्यायनिर्णय को समर्थन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 227 से भी मिलता है। सुविधा के लिये धारा 227 निम्न प्रकार है -

227. No decree or order to be reversed or modified for error or irregularity - No decree or order shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal, on appeal, on account of any mis-joinder of parties or causes of action or any error or irregularity in any proceedings, not affecting the merits of the case.

अतः उपरोक्त सुप्रतिपादित विधिक प्रावधानों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निम्न अवर्धाय बिन्दु प्रकट होता है:-

“आया योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 188 के तहत प्रस्तुत वादपत्र जिसके माध्यम से आराजी जैर से अपीलार्थी/प्रत्यर्थी के विरुद्ध बेदखली एवं स्थाई व्यादेश की मांग की गई थी, को विधि सम्मत् स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किया गया है अथवा नहीं? एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने आदेश दिनांक 09-03-2007 से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-10-2005 की पुष्टि विधिनुरूप की गई है अथवा नहीं?

इस संबंध में हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान् अवलोकन कर मागदर्शन प्राप्त किया।

(V) न्यायालय का विश्लेषण एवं निष्कर्षण:-

a) हस्तगत द्वितीय अपील के गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती रूप से निष्पादित कार्यवाही को देखा जाना अपरिहार्य हो जाता है। इस संबंध में न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि पक्षकारों के मध्य धारण की अन्य भूमियों के साथ-साथ वादग्रस्त भूमि ग्राम खानुपर तहसील खानपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 2408 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2426 रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में एक वादपत्र प्रस्तुत किया गया जोकि मिसल संख्या 769/1993 के रूप में दर्ज किया गया। जिसमें अपीलार्थी कृष्णवल्लभ बतौर वादी संख्या - 3 एवं प्रत्यर्थी ओमप्रकाश बतौर वादी संख्या - 4 प्रतिस्थापित रहे हैं। उक्त वादपत्र में वर्तमान विवादित भूमि के खसरा नम्बर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खसरा नम्बर 2426 की 15 बिस्वा इस प्रकार कुल 22 बीघा 05 बिस्वा भूमि भी निहित/विवादित रही है।

b) प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त वादपत्र का निस्तारण दिनांक 30-06-1994 को करते हुए वादी संख्या - 3/ अपीलार्थी कृष्णवल्लभ को आराजी खसरा नम्बर 2410 की 23 बीघा 17 बिस्वा एवं वादी संख्या - 4 प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश को आराजी खसरा नम्बर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2426 की 15 बिस्वा इस प्रकार कुल कितना 2 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित

किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30-06-1994 के विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की गई जोकि अपील संख्या 169/99 के रूप में दर्ज करते हुए उक्त अपील का निस्तारण दिनांक 14-12-1999 को किया गया। जिसके अनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-06-1994 की पुष्टि की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जोकि अपील संख्या 180/2000 दर्ज करते हुए उक्त द्वितीय अपील का निस्तारण दिनांक 21-06-2004 को किया गया। जिसके अनुसार विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गई। इस प्रकार प्रकरण में विभिन्न न्यायालय स्तर पर वादग्रस्त भूमि के बाबत सम्पादित कार्यवाहियों के अवलोकन मात्र से यह तथ्य जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती रूप से कार्यवाहियाँ की जाकर प्रकरण का द्वितीय अपील के स्तर पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका था। उपर्युक्त विधिक स्थिति के अनुसरण में प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश को आराजी खसरा नम्बर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2426 की 15 बिस्वा इस प्रकार कुल रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा भूमि एवं अपीलार्थी/प्रतिवादी कृष्णवल्लभ को आराजी खसरा नम्बर 2410 की 23 बीघा 17 बिस्वा बतौर खातेदारी प्राप्त होने की डिक्री सक्षम न्यायालयों द्वारा पारित/पुष्ट की जा चुकी थी।

c) प्रकरण में उपरोक्त विधिक स्थिति एवं पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति के उपरान्त उनके हक/हिस्से एवं धारण की भूमि पर कब्जे काशत की स्थिति सुस्पष्ट होने के उपरान्त भी अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादी/प्रत्यर्थी की भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के तहत वादपत्र दिनांक 25-06-1999 को प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर से बेदखली एवं स्थाई व्यादेश की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं उसकी निरन्तरता में कमशः प्रथम अपील के स्तर पर राजस्व अपील प्राधिकारी एवं राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह पाये जाने पर कि अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया हुआ है, वादपत्र को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए आराजी जैर पर जबरन कब्जा नहीं करने और नाही दिगर व्यक्तियों से कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17-10-2005 पारित किया गया। जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री 09-03-2007 द्वारा की गई है।

d) पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं पूर्व निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम वादों की श्रृंखला का मूल वाद जो दिनांक 30-06-1994 को

निर्णित हुआ था, उसका आधार गुणावगुण पर किया गया निर्धारण था, जोकि द्वितीय अपीलीय न्यायालय (रेवेन्यू बोर्ड) तक बहाल रखा था। उक्त गुणावगुण के निर्धारण का आधार दोनों पक्षों के मध्य हुए पारिवारिक समझौते बंटवारानाम (प्रदर्श - 2 राजस्व वाद संख्या 769/93) के आधार पर हुआ था। इसी क्रम में पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रथमवादों की श्रृंखला में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् द्वितीय अपील के लम्बित रहते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादी कृष्णवल्लभ एवं प्रत्यर्थी/वादी ओमप्रकाश (जोकि आपस में सगे भाई हैं), के मध्य दिनांक 27-01-2000 को एक समझौता-इकरार निष्पादित हुआ। जोकि दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होते हुए इस प्रकार लिखित किया गया कि:-

“वर्तमान में जो मुताबिक इजराय डिक्री से हमारे खाते में उलट पुलट नम्बर हुए हैं, उसको मैं स्वयं मेरे खर्च से वर्तमान में जिस भूमि हम पिछले 20 वर्षों से काश्त करते आ रहे हैं, उक्त भूमि को खसरा नम्बर 2408 तथा 2426 की कुल 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि को जो वर्तमान में मेरे भाई ओमप्रकाश के खाते में दर्ज हुई है तथा खसरा नम्बर 2410 की 23 बीघा 17 बिस्वा जो मेरे खाते में दर्ज हुई है, उसको मेरे भाई ओमप्रकाश के खाते दर्ज करवाने में अदला-बदली खाते करवाने का जो खर्च लगेगा उसको मैं स्वयं वहन करूँगा।”

इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-06-1994 में प्रदत्त भूमियों को अपीलार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा उक्त समझौता-इकरार दिनांक 27-01-2000 के माध्यम से विनियमित/आदान-प्रदान किये जाने का समझौता होना बताया है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती रूप से निर्णय व डिक्री के माध्यम से प्रदत्त भूमि एवं कालान्तर में समझौता-इकरार के माध्यम से विनियमित भूमि को निम्नलिखित सारणी के माध्यम से उचित रूप से समझा जा सकता है।

क्र.सं.	न्यायालय स्तर पर डिक्री के माध्यम से प्रदत्त भूमि	समझौता-इकरार दिनांक 27-01-2000 के माध्यम से विनियमित भूमि
1.	<u>ओमप्रकाश</u> वादी/प्रत्यर्थी को खसरा नम्बर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2426 की 15 बिस्वा इस प्रकार रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रदत्त की गई।	<u>ओमप्रकाश</u> आराजी खसरा नम्बर 2410 की 23 बीघा 17 बिस्वा भूमि।
2.	<u>कृष्णवल्लभ</u> प्रतिवादी/अपीलार्थी को आराजी खसरा नम्बर 2410 की 23 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रदत्त की गई।	<u>कृष्णवल्लभ</u> खसरा नम्बर 2408 की 21 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2426 की 15 बिस्वा कुल रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा भूमि।

e) अर्थात् अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के मद संख्या 6 में स्पष्ट रूप से किया गया यह कथन कि- “अपीलांट को एक्सचेंज में आपसी सहमति से प्राप्त वादग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के उपरान्त रेस्पोंडेन्ट की नियत में फर्क आ जाने से बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया जिसे बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूत रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही गैरकानूनी रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।”-स्वीकृत रूप से रिकार्ड के विपरीत है क्योंकि वास्तव में हस्तगत प्रकरण का मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापस प्राप्त करने हेतु दिनांक 25-05-1999 को प्रस्तुत किया गया था। जबकि जिस आपसी सहमति एवं विनिमय को अपीलार्थी आधार बनाते हैं वह दिनांक 27-01-2000 का है। समझौता दिनांक 27-01-2000 को राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व प्रकरण की श्रृंखला में द्वितीय अपील संख्या 180/2000 निर्णय दिनांक 21-06-2000 को विनिश्चित करते हुए यह कथन किया गया था कि इस समझौते के आधार पर अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः पुनः इसी आधार पर द्वितीय अपील पेश कर अनुतोष चाहा है, जोकि वास्तव में प्रांगन्याय (Res-judicata) से भी बाधित है। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय B.S.Lalitha Vs Bhuvanesh [2026 INSC 499] में यह निर्धारित किया है कि उत्तराधिकार के आधार पर प्रस्तुत विभाजन के दावों में भी प्रांगन्याय का सिद्धान्त लागू होते हैं। जिस में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि पक्षकार एक अंतिम निर्णय को, उन्हीं सारभूत आधारों पर दुबारा पुनः उद्धलित (Reagitate) नहीं कर सकता। ऐसा करना प्रांगन्याय से बाधित रहता है।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि पक्षकारों के मध्य वादो के एक से अधिक चक्र चले हैं, और दोनों चक्रों में आपसी सहमति एवं पारिवारिक समझौते के आधार वर्णित किये गये हैं। वाद के प्रथम चक्र में पारिवारिक समझौता वर्ष 1975 के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकार उसी प्रक्रिया के दौरान एक द्वितीय अपंजीकृत एवं अपर्याप्त स्टॉम्पड समझौते के आधार पर किसी पक्ष विशेष को अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता। ऐसा कृत्य वस्तुतः विबंध के सिद्धान्त से बाधित है। सहमति के आधार पर पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में विबंध के सिद्धान्त को वर्णित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने न्याय निर्णय Raja Sailendra Narayan vs State of Orissa [AIR 1956 SC 346] में यह अभिनिर्धारित किया है कि सहमति की डिक्री का प्रभाव पक्षकारों को ‘आचरण के आधार पर’ विबंध के सिद्धान्त से बाधित रखता है। जिसके परिणाम स्वरूप पक्षकार या उसके प्रतिनिधि किसी पूर्व में उद्धलित विवाद बिन्दु को पुनः उद्धलित करने से बाधित होते हैं।

f) प्रकरण में पक्षकारों के मध्य न्यायालय के माध्यम से एवं तदुपरान्त आपसी समझौता-इकरार के माध्यम से विवाद का निस्तारण अंतिम रूप से

होने के उपरान्त भी येन-केन-प्रकारण विवाद को कायम रखा जा रहा है। जबकि इस संबंध में विधिक स्थिति सुस्पष्ट है कि जहाँ पक्षकारों के मध्य विवाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो गया हो, वहाँ बिना किसी ठोस आधार के विवाद को अनवरत रूप से कायम रखा जाना विधि की मंशा के खिलाफ माना गया है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर का न्याय निर्णय रामनारायण व अन्य बनाम महावीर व अन्य 2023 सुप्रीम(राज.) 1609 इस प्रकार मार्गदर्शित करता है कि:-The doctrine of finality in litigation prevents parties from reopening matters that have already been conclusively decided by the highest court, ensuring stability in judicial decisions.

g) उपरोक्त न्याय-निर्णयन की रेशनी में न्यायालय का अभिमत है कि चूंकि पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती रूप से न्यायालय स्तर एवं कालान्तर में आपसी सहमति से विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण होने के उपरान्त पुनः आराजी जैर को विवादित किया जाना उचित नहीं माना जा सकता। प्रकरण में उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही प्रथमतः विचारण न्यायालय एवं उसकी निरन्तरता में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष पारित किये गये हैं। समवर्ती निष्कर्ष के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय Raghunath Vs State of Haryana [2003(1) SCC 399] इस प्रकार मार्गदर्शित करता है कि:-Concurrent findings of the facts are not to be interfered, except in exceptional circumstances, where process is discarded or the principle of natural justices are violated or grave and substantial injustice have otherwise resulted.

h) प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों एवं आराजी जैर के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित है एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की सारगर्भित एवं प्रकियात्मक तात्विक अनियमितता नहीं पाये जाने से हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है। तदनुसार आदेशित हो।

-आदेश-

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17-10-2005 एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09-03-2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह कविया)
सदस्य

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य